

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

संख्या /2018/9(120)/XXVII(8)/2017/ CT-74

देहरादून:: दिनांक:: 01 जनवरी, 2018

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 एवं उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2017 की क्रम संख्या 1(2) पर उल्लिखित व्यवस्था के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 फरवरी, 2018 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिससे अधिसूचना सं. 792/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 के क्रम संख्यांक 9 और क्रम संख्यांक 10 के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।


(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव


सं० 07/2018/9(120)/XXVII(8)/2017/ CT-74 तददिनांक ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4-अपर सचिव, वित्त-8, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन0आई0सी0
- 6-गार्ड फाईल हेतु।


अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।


अपर आयुक्त-वित्तिय कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

आज्ञा से,

(बी0बी0मठपाल)
अपर सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 07/2018/9(120)/XXVII(8)/2017/CT-74 dated 01 January, 2018 for general information.

Government of Uttarakhand

Finance Section-8


No. 07/2018/9(120)/ XXVII(8)/2017/CT-74

Dehradun :: Dated:: 01 January, 2018

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) and under the provision mentioned at serial no. 1(2) of the Uttarakhand Goods and Services Tax (sixth amendment) Rules, 2017, the Governor is pleased to allow to appoint the 1st day of February, 2018 as the date from which the provisions of serial number 9 and 10 of notification No. 792/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 10th October, 2017, shall come into force.


(Radha Raturi)
Principal Secretary